



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05102023-249158
CG-DL-E-05102023-249158

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 566]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 5, 2023/आश्विन 13, 1945

No. 566]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 5, 2023/ASVINA 13, 1945

सूचना और प्रसारण मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अक्तूबर, 2023

सा.का.नि. 719(अ).—केंद्रीय सरकार, केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 (1995 का 7) की धारा 22 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केबल टेलीविजन नेटवर्क (दूसरा संशोधन) नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के नियम 2 में,--

(1) खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

‘(कक) “पदाभिहित अधिकारी” से,--

(i) स्थानीय केबल आपरेटर के संबंध में, वह जिला मजिस्ट्रेट जिसकी अधिकारिता के भीतर स्थानीय केबल आपरेटर का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय अवस्थित है ;

(ii) मल्टी-सिस्टम आपरेटर के संबंध में, वह जिला मजिस्ट्रेट जिसकी अधिकारिता के भीतर

मल्टी-सिस्टम आपरेटर का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय अवस्थित है, जहां तक उसका संबंध निम्नलिखित के संबंध में है, अर्थात् :--

(क) प्लेटफार्म सेवाओं के संबंध में, अधिनियम की धारा 5 के अधीन विनिर्दिष्ट कार्यक्रम कोड और अधिनियम की धारा 6 के अधीन विनिर्दिष्ट विज्ञापन कोड, के उल्लंघन हेतु ;

(ख) अधिनियम की धारा 7 के अधीन रजिस्टर के अनुरक्षण के उल्लंघन हेतु ; और

(iii) किसी अन्य मामले के संबंध में, कोई ऐसा अधिकारी, जो भारत सरकार में उप सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो ;;

(ii) खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा,

अर्थात् :--

‘(खक) “स्थानीय केबल आपरेटर” से नियम 5 के अधीन रजिस्ट्रीकृत केबल आपरेटर अभिप्रेत है ;;

(iii) खंड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे,

अर्थात् :--

‘(घक) “प्लेटफार्म सेवाओं” से मल्टी-सिस्टम आपरेटर द्वारा अनन्य रूप से अपने ग्राहकों को कार्यक्रम पारेषित करने से अभिप्रेत हैं और इसके अंतर्गत दूरदर्शन चैनल, ऐसे रजिस्ट्रीकृत टेलीविजन चैनल और विदेशी टेलीविजन चैनल, जो भारत में रजिस्ट्रीकृत नहीं हैं, सम्मिलित नहीं हैं ;

(घख) “रजिस्ट्रीकृत कार्यालय” से रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा अनुरक्षित अभिलेखों में किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का कार्यालय अभिप्रेत है ;’।

[फा. सं. एन-45011/23/2020-डीएस (जिल्द-1) भाग (1)]

संजीव शंकर, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 11, खंड 3, उपखंड (i), संख्यांक सा.का.नि. 729(अ), तारीख 29 सितंबर, 1994 में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए :

- (1) सा.का.नि. 453(अ), तारीख 29 मई, 1995 ।
- (2) सा.का.नि. 820(अ), तारीख 29 दिसंबर, 1995 ।
- (3) सा.का.नि. 459(अ), तारीख 8 अक्तूबर, 1996 ।
- (4) सा.का.नि. 597(अ), तारीख 20 अगस्त, 1999 ।
- (5) सा.का.नि. 710(अ), तारीख 8 सितंबर, 2000 ।
- (6) सा.का.नि. 719(अ), तारीख 13 सितंबर, 2000 ।
- (7) सा.का.नि. 26(अ), तारीख 18 जनवरी, 2001 ।
- (8) सा.का.नि. 282(अ), तारीख 11 मई, 2006 ।
- (9) सा.का.नि. 452(अ), तारीख 31 जुलाई, 2006 ।
- (10) सा.का.नि. 459(अ), तारीख 2 अगस्त, 2006 ।
- (11) सा.का.नि. 463(अ), तारीख 9 अगस्त, 2006 ।
- (12) सा.का.नि. 697(अ), तारीख 11 नवंबर, 2006 ।

- (13) सा.का.नि. 286(अ), तारीख 11 अप्रैल, 2007 ।
- (14) सा.का.नि. 482(अ), तारीख 12 जुलाई, 2007 ।
- (15) सा.का.नि. 774(अ), तारीख 3 दिसंबर, 2007 ।
- (16) सा.का.नि. 104(अ), तारीख 25 फरवरी, 2008 ।
- (17) सा.का.नि. 413(अ), तारीख 29 मई, 2008 ।
- (18) सा.का.नि. 138(अ), तारीख 27 फरवरी, 2009 ।
- (19) सा.का.नि. 411(अ), तारीख 12 जून, 2009 ।
- (20) का.आ. 940(अ), तारीख 28 अप्रैल, 2012 ।
- (21) का.आ. 1521(अ), तारीख 6 जुलाई, 2012 ।
- (22) सा.का.नि. 216(अ), तारीख 21 मार्च, 2015 ।
- (23) सा.का.नि. 804(अ), तारीख 19 अगस्त, 2016 ।
- (24) सा.का.नि. 416(अ), तारीख 17 जून, 2021 ।
- (25) सा.का.नि. 121, तारीख 18 सितंबर, 2023 ।

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING
NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd October, 2023

G.S.R. 719(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of section 22 of the Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995 (7 of 1995), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Cable Television Networks Rules, 1994, namely:-

1. (1) These rules may be called the Cable Television Networks (Second Amendment) Rules, 2023.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Cable Television Networks Rules, 1994, in rule 2,-

(I) after clause (a), the following clause shall be inserted, namely :-

‘(aa) “designated officer” means-

(i) in relation to local cable operator, the District Magistrate of the area within whose territorial jurisdiction the registered office of the local cable operator is situated;

(ii) in relation to the multi-system operator, the District Magistrate of the area within whose territorial jurisdiction the registered office of the multi-system operator is situated, in so far as it relates to the following, namely :-

(A) for contravention of Programme Code specified under section 5 and Advertisement Code specified under section 6 of the Act in relation to platform services;

(B) for contravention of maintenance of register under section 7 of the Act; and

(iii) in relation to any other case, an officer not below the rank of Deputy Secretary to the Government of India;’

(II) after clause (b), the following clause shall be inserted, namely :-

‘(ba) “local cable operator” means the cable operator registered under rule 5;’

(III) after clause (d), the following clauses shall be inserted, namely:-

‘(da) “Platform Services” means the programmes transmitted by a Multi-System Operator exclusively to his own subscribers and does not include Doordarshan channels, registered television channels and foreign television channels which are not registered in India;

(db) “Registered Office” means the office of a person registered in the records maintained by the registering authority;’.

[F. No. N-45011/23/2020-DAS (Vol. I)-Part (I)]

SANJIV SHANKAR, Jt. Secy.

Note: The Principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary Part-II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 729(E), dated the 29th September, 1994 and were subsequently amended *vide*:-

- (1) G.S.R 453 (E), dated 29th May, 1995.
- (2) G.S.R 820 (E), dated 29th December, 1995.
- (3) G.S.R. 459(E), dated the 8th October, 1996.
- (4) G.S.R 597 (E), dated 20th August, 1999
- (5) G.S.R. 710(E), dated the 8th September, 2000.
- (6) G.S.R. 719(E), dated the 13th September, 2000.
- (7) G.S.R. 26(E), dated the 18th January, 2001.
- (8) G.S.R. 282(E), dated the 11th May, 2006.
- (9) G.S.R. 452(E), dated the 31st July, 2006.
- (10) G.S.R. 459(E), dated the 2nd August, 2006.
- (11) G.S.R. 469(E), dated the 9th August, 2006.
- (12) G.S.R. 697(E), dated the 11th November, 2006.
- (13) G.S.R. 286(E), dated the 11th April, 2007.
- (14) G.S.R. 482(E), dated the 12th July, 2007.
- (15) G.S.R. 774(E), dated the 3rd December, 2007.
- (16) G.S.R. 104(E), dated the 25th February, 2008.
- (17) G.S.R. 413(E), dated the 29th May, 2008.
- (18) G.S.R. 138(E), dated the 27th February, 2009.
- (19) G.S.. 411(E), dated the 12th June, 2009.
- (20) S.O. 940(E), dated the 28th April, 2012.
- (21) S.O. 1521(E), dated the 6th July, 2012.
- (22) G.S.R. 216(E), dated the 21st March, 2015.
- (23) G.S.R. 804(E), dated the 19th August, 2016.
- (24) G.S.R. 416(E), dated the 17th June 2021.
- (25) G.S.R. 121, dated the 18th September 2023.